अजमेर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन

अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन के नेतृत्व में गैस सिलेंडर सस्ता करने और महंगाई कम करने की मांग की।

■ प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

अजमेर,(कासं)। अजमेर जिले में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन की जिला अध्यक्ष भंवरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर रसोई गैस सहित रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दामों पर चिंता व्यक्त की और सरकार से राहत देने की मांग की।

जिलाध्यक्ष भंवरी देवी ने बताया कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि रसोई घर का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सरकार से मांग की कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में तत्काल कमी की जाए। इसके अलावा खाद्य सामग्री, तेल, दाल, आटा और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर भी बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। महिलाओं का कहना था कि महंगाई के कारण घर चलाना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। इस दौरान महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव, विशेष रूप से ईरान - इजरायल - अमेरिका तनाव को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के युद्धों में सबसे ज्यादा नुकसान निर्दोष लोगों को उठाना पड़ता है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री से अपील की कि भारत शांति स्थापना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि आम नागरिक सुरक्षित रह सकें।

श्रीमद्भागवत कथा श्रवण का महत्व बताया

पुष्कर, (निसं)। कलयुग में श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण मात्र ही मानव को परमात्मा के चरणों में स्थान दिलाने वाला है। यह विचार प्रसिद्ध कथावाचक महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज ने व्यक्त किए। वे पुष्कर के समीप ग्राम गनाहेड़ा स्थित एक रिसोर्ट में राधे-राधे सत्संग महिला मंडल इंदौर द्वारा आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के अंतिम दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन को दिव्य बनाने के लिए श्रीमद्भागवत का रसपान आवश्यक है, जिससे भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से मनुष्य जन्म-मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने बताया कि सभी कार्य प्रभु बल से ही सिद्ध होते हैं और यह प्रभु बल श्रीमद्भागवत पुराण में निहित है। इसलिए सभी को इसके मार्ग पर चलने का आव्हान किया। कथा के दौरान सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य के पीछे परमात्मा की इच्छा होती है। जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक-न.नि.अ/भवन/26-27/07 आपत्ति सूचना दिनांक-10/4/26

श्री शमेन्द्र जड़वाल पुत्र स्व. श्री देवदत जड़वाल, एवं स्व. श्रीमति सावित्री देवी पत्नी श्री देवदत जड़वाल, श्री चन्द्रकान्त जड़वाल पुत्र स्व. श्री देवदत जड़वाल, श्री नटराजन जड़वाल पुत्र स्व. श्री देवदत जड़वाल, एवं श्री ललित जड़वाल पुत्र स्व श्री देवदत जड़वाल निवासीगण 64/13 जड़वाल हाऊस चन्दनगर ब्यावर रोड, अजमेर द्वारा एक सम्पति भाग-जी जिसका ए.एम.सी. नं. 64/13 जड़वाल हाऊस चन्दनगर ब्यावर रोड अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 113.28 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार हैं।

पूर्व - कॉमन पैसेज | उत्तर - इसी भूमि का ऑपन भाग
पश्चिम -मेन ब्यावर रोड | दक्षिण -कॉमन पैसेज

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति / संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। - उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 38 जाहिर आम सूचना दिनांक-8-4-26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2-क-6 आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर क्षेत्रफल 32.00 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री मदनलाल पुत्र श्री बालुराम को आवंटित कर दिनांक 29.11.1978 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री मदनलाल पुत्र श्री बालु राम द्वारा आवास का बैचान जरिये इकरारनामा मुख्त्यारनामा एवं वसीयतनामा के श्रीमती ललिता पत्नि श्री धर्मदास को कर दिया गया है। पुनः श्रीमती ललिता पत्नि श्री धर्मदास द्वारा आवास का बैचान श्री नन्दलाल पुत्र श्री धीरूमल को कर दिया गया। मण्डल द्वारा दिनांक 14.06.2010 को श्री नन्दलाल पुत्र श्री धीरूमल के पक्ष में नियमितीकरण के आदेश जारी किये गये। श्री नन्दलाल पुत्र श्री धीरूमल द्वारा दिनांक18.07.2014 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया है। पंजीयन पश्चात श्री नन्दलाल पुत्र श्री धीरूमल द्वारा आवास का बैचान श्रीमती दया रंगवानी पत्नि श्री हरीश रंगवानी को कर दिया गया। श्रीमती दया रंगवानी पत्नि श्री हरीश रंगवानी द्वारा आवास के बैचान श्री प्रदीप लालवानी एंव श्री ललित लालवानी पुत्रगण श्री मनोहर लालवानी को कर दिया गया। श्री प्रदीप लालवानी एंव श्री ललित लालवानी द्वारा आवास का बैचान श्री जेठानन्द वंदनानी पुत्र श्री जस्सुमल वंदनानी को दिनांक 13.04.2025 को कर दिया गया जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 966 में पृष्ठ संख्या 55 क्रम संख्या 202503002103480 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3862 के पृष्ठ संख्या 283 से 290 पर दिनांक 13.04. 2025 को चस्पा किया गया है।अब श्री जेठानन्द वंदनानी पुत्र श्री जस्सुमल वंदनानी ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय वैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री जेठानन्द वंदनानी पुत्र श्री जस्सुमल वंदनानी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

-सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालन नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/2026-27/16 लोक सूचना दिनांक-10.04.2026

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित निजी भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1.	सुनीता यादव पत्नि राकेश यादव हिस्सा पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. देलवाड़ा रोड ब्यावर खातेदार।	देलवाड़ा	2623/2509	0.2792 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो यह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 10.04.26 को जारी की गयी।

- प्राधिकारी अधिकारी नगर परिषद, ब्यावर

सामुदायिक भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न

अजमेर,(कासं)। शहर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित कोटड़ा बिस्तर क्षेत्र में आज माथुर वैश्य जनहित समिति द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। संयोजक विनोद गुप्ता ने बताया कि इस महत्वपूर्ण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुकेश गुप्ता एवं कालीचरण खंडेलवाल उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया और समाज के इस प्रयास की सराहना की। माथुर वैश्य जनहित समिति के संयोजक विनोद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सामुदायिक भवन केवल माथुर वैश्य समाज ही नहीं, बल्कि सभी समाज के लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। यहां विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा।उन्होंने बताया कि प्रस्तावित भवन चार मंजिला होगा, जिसमें लगभग 25 कमरे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही दो बड़े हॉल भी निर्मित किए जाएंगे, जहां बड़े स्तर के कार्यक्रम आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे।

मानस मंडल का 72वां स्थापना दिवस महोत्सव आज

अजमेर, (कासं)। मानस मंडल पट्टी कटला के तत्वावधान में 11 अप्रैल, शनिवार को शाम 5.30 बजे से 72वें स्थापना दिवस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भजन संध्या का विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अशोक तोषनीवाल एवं सर्वेश्वर संकीर्तन मंडल, अजमेर द्वारा श्रीराम दरबार के भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। संस्था के अध्यक्ष हनुमान श्रीया और सचिव नंद किशोर गोयल ने बताया कि स्थापना दिवस को भव्य बनाने के लिए मंडल परिसर को आकर्षक रूप से सजाया जाएगा। साथ ही श्रीराम दरबार का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र रहेगा। मंडल के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि परिसर में विराजमान श्रीराम दरबार की एक दुर्लभ तस्वीर विशेष आकर्षण का केंद्र है, जिसमें माता सीता भगवान श्रीराम की गोद में विराजित हैं और हनुमानजी उनके चरण दबाते हुए दिखाई देते हैं।

केकड़ी बना राजस्थान का पहला फ्री वाई-फाई जोन

■ नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

अजमेर/ केकडी(निसं)। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को केकडी नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। केकडी को राजस्थान का पहला फ्री वाई-फाई जोन घोषित करते हुए शहरवासियों को 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट सुविधा की सौगात दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाएं बनाकर उनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज का दौर डिजिटल क्रांति का है और आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। ऐसे में केकडी को फ्री वाई-फाई जोन बनाना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया दूरदर्शी कदम है। इस पहल से विद्यार्थियों, युवाओं, व्यापारियों और आमजन को नई संभावनाओं से जुड़ेंगे। यह योजना शहर को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी। खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। केकडी के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में केकडी डिजिटल और आधारभूत सुविधाओं के मामले में एक मॉडल शहर के रूप में पहचान बनाएगा।

केकडी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केकडी को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। फ्री वाई-फाई सुविधा से आमजन को सीधा लाभ मिलेगा और शहर में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 1254 करोड़ रुपये की फोरलेन सडक़ की सौगात दी है। सरकार जो कहती है, उसे करके दिखाती है। केकडी को यह बडी सौगात दिलाने के लिए उन्होंने स्वयं 240 दिन तक बिना जूते-चप्पल के जयपुर और दिल्ली के चक्कर लगाए। इसके परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई।

उन्होंने कहा कि इतनी बडी योजना को धरातल पर उतरने में समय लगता है। कोई भी कार्य एक दिन में पूरा नहीं होता। इस अवसर पर उन्होंने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्यमंत्री से केकडी और सरवाड़ में बस स्टैंड की आवश्यकता बताते हुए कहा कि दोनों स्थानों पर पर्याप्त जमीन उपलब्ध है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद मकराना जिला-डीडवाना कुचामन

क्रमांक/न.प.म./90ए/25-26/190 लोक सूचना दिनांक-09.04.2026

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि के निम्न खातेदार द्वारा गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृत अधिकारों के निर्वापन के लिए प्रस्तुत किया है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
1	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र रतना राम जाति मेघवाल निवासी गुणावती	तहसील परबतसर जिला डीडवाना-कुचामन	बिदियाद	781,782	5.0100 हैक्टेयर	कृषि आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अनिवृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो यह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 09.04.26 को जारी की गयी।

- आयुक्त नगर परिषद, मकराना

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक / नियमन / 2025—26 / 06 दिनांक 06.04.2026

लोक सूचना

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि का गैर कृर्षिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा न0	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	1. भंवर सिंह पुत्र फतेह सिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. रावली पोल, भेंसणा तह. सोजत सिटी जिला पाली खातेदार। 2. राम सिंह पुत्र मिठू सिंह हिस्सा 1/2 जाति रावत सा. 727 मारवाड जंक्शन, मालियों का मौहल्ला मारवाड जंक्शन, जिला पाली खातेदार।	गढीथोरियान	1326 2082/1324	0.0162 हैक्टेयर 0.3804 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए (8) के अन्तर्गत सुओमोटो कार्यवाही अन्तर्गत और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधिन एवं भू राजस्व पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष के समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 06.04.2026 को जारी की गयी।

राज.संवाद / सी / 26 / 607 प्राधिकारी अधिकारी

आम सूचना

मेरा भाई शिवराज पुत्र हरजीराम बैरवा की मृत्यु दिनांक 14.3.2020 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम गोठियाना में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत गोठियाना में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे भाई शिवराज बैरवा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अराई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अराई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

- प्रार्थी- सांवरलाल पुत्र हरजीराम बैरवा, ग्राम गोठियाना तहसील अराई, अजमेर

आम सूचना

मेरी माता उगमी पत्नि नन्दाराम जाति बैरवा की मृत्यु दिनांक 27.09.2006 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम झीरोता में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत झीरोता में नहीं करवाया गया था। अब मैं मेरी माता उगमी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अराई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अराई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

- प्रार्थी- प्रभुलाल पुत्र नन्दाराम बैरवा, ग्राम झीरोता तहसील अराई, अजमेर

आम सूचना

हर खासोआम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सम्पत यादव पत्नी स्व. श्री सुरेश यादव जी ने एक आवासीय भूखण्ड संख्या - 26 पर निर्मित मकान जो कि खसरा संख्या 7962 का भाग, वाके अजमेर थोक मालियान, राजस्व ग्राम-बालूपुरा, तहसील व जिला-अजमेर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 236.74 वर्गगज बाबत् हमारी अभिभाष्या डी सी बी बैंक लिमिटेड, अजमेर में गिरवी रख लोन लेने का आवेदन किया है। उक्त सम्पत्ति श्री सुरेश यादव पुत्र स्व. श्री दीपचन्द के मालिकाना हक व अधिकार में थी तथा उसके पश्चात् श्री सुरेश यादव का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति को जरिए पंजीकृत हक त्याग-पत्र दिनांक 21.06.2024 को अपने सह-हिस्सेदार श्रीमती सम्पत यादव पत्नी स्व. श्री सुरेश यादव जी के हक में कर दिया। अब यदि किसी को भी उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व, उत्तराधिकार तथा मूल दस्तावेजात् के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो 07 दिन में मय सबूत सम्पर्क करें अन्यथा कोई उज्र अथवा आपत्ति, स्वीकार नहीं होगी।

दिनांक- 09.01.2026 संदीप टॉक (एडवोकेट) जरिए लीगल कौंसिल, 26, स्टेट बैंक कॉलोनी, गोखले मार्ग, पुलिस लाइन, अजमेर। मो.- 9785397883, 0145-3565513.

एमडीएसयू में सिंधी भाषा दिवस पर संगोष्ठी

अजमेर, (कासं)। महार्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के संदेश प्रमुख रूप से उभरकर सामने आए। यह आयोजन उस ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में किया गया, जब 10 अप्रैल 1967 को सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत भाषण से हुआ, जिसे डॉ. राजू शर्मा ने प्रस्तुत किया। उन्होंने सिंधी भाषा के ऐतिहासिक महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता प्रो. हासो दादलानी ने सिंधी भाषा की उत्पत्ति, विकास और साहित्यिक परंपरा पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि डॉ. चंद्रप्रकाश दादलानी ने विभाजन के बाद सिंधी समुदाय द्वारा भाषा और संस्कृति को संरक्षित रखने के प्रयासों का उल्लेख किया।

मुख्य बाजार सहित प्रमुख मार्गों पर जलभराव से राहत की तैयारी तेज

■ सीएम और मंत्री के निर्देश पर सिंचाई विभाग की टीम ने किया मौका निरीक्षण

पुष्कर(निसं)। नगर परिषद क्षेत्र में हर वर्ष बरसात के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्री सुरेश रावत के निर्देश पर गुरुवार को सिंचाई विभाग की टीम ने शहर के मुख्य बाजार सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता ओकरसिंह, अधिशाषी अभियंता अनिल यादव, एईएन रामधन तथा जेईएन अभिषेक और अभिलाषा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने उन स्थानों का विशेष रूप से निरीक्षण किया जहां हर साल बरसाती पानी जमा होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से मांग की कि जल्द से जल्द ठोस योजना बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि हर साल होने वाली परेशानी से राहत मिल सके।

डीपीआर तैयार कर जल्द होगा समाधानः इस दौरान अधीक्षण अभियंता ओकर सिंह ने बताया कि मौके के निरीक्षण के आधार पर जल्द ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इसके बाद उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजकर ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ करने और नालों को आपस में जोड़ने की योजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

जनप्रतिनिधियों ने रखी समस्याएः निरीक्षण के दौरान पुष्कर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति कमल पाठक, भाजपा प्रवक्ता अरुण वैष्णव, भाजपा नेता घनश्याम भाटी, चतुर्भुज पाराशर, दरियाव सिंह, धर्मेंद्र नागोरा, कमल सोनी सहित अन्य स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को जलभराव की गंभीर समस्या से अवगत कराया।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) परबतसर जिला डीडवाना- कुचामन राजस्थान

क्रमांक/भू.अ./2026/654 नोटिस दिनांक- 4.4.2026

जरिये आम को सूचित किया जाता है कि मृतक सिरेकंवर पत्नी सादुल सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील परबतसर के द्वारा दिनांक 18.04.2001 के द्वारा वसीयत (आम रजिस्टर्ड नोटेरी) व आसु सिंह पुत्र गावड सिंह निवासी कालवा छोटा तहसील मकराना के द्वारा दिनांक 04.06.1972 (अन रजिस्टर्ड नोटेरी) जो कि हेमेन्द्र सिंह पुत्र जगजीवन सिंह कौम राजपूत के पक्ष में की गई है जिस का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (किस्म में)	वि.वि.
1.	श्यामपुरा	पुराने 146 नये 82	कुल क्षेत्रफल 1.86 हेक्टेयर	वसीयत कर्ता का सम्पूर्ण हिस्सा

उक्त प्रकरण संख्या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135 2 के अन्तर्गत नामान्तरण हेतु किसी व्यक्ति को किसी प्रकार कि आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।

- तहसीलदार(भू.अ.) परबतसर, डीडवाना, कुचामन

साइबर सुरक्षा पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

अजमेर, (कासं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लोहागल स्थित माँ करणी कृपा उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइबर सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए प्रेरित करना था। शिविर में न्यायाधीश महेंद्र कुमार ढाबी (मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण) एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश पूजा जनागल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इंटरनेट जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत सिरोंज पंचायत समिति अरांई, अजमेर

क्रमांक: ग्रा.प.सि/2026-27/1 ई-निविदा सूचना संख्या 01/2026-27 दिनांक: 08.04.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सिरोंज के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मो से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षि दर संविदा/दर अनुबंध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेबसाईट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। उपरोक्त निविदाएं वेब पोर्टल http:www.sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय विक्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	NIB NO	UBN NO	TENDER Id
1	सिरोंज	ZAJ2627A0063	ZAJ2627WSOB00063	2026_PRD_550929_1

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिरोंज, पं.स.अरांई, जिला अजमेर | प्रशासक, ग्राम पंचायत सिरोंज, पं.स.अरांई, जिला अजमेर

LSG/BEAWAR/MUT/2025-26/175570
DATE :- 02.03.2026 रजि बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/12909 दिनांक-06-03-26

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती कलावती पत्नी श्री दीपक चौहान निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 3/गोकुल विहार सेदरिया खसरा नं. 452,454,478/2 व 480 प्लाट नं. 24 का पश्चिमी भाग प्रा नं. 24-सी, क्षेत्रफल 62.91 वर्गगज जो कि नगर परिषद ब्यावर नगरीय विकास कर रिकॉर्ड श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री हरीलाल व श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री मोहन लाल के नाम पट्टा विलेख जारी है। रजि बेचान-नामा दिनांक 03.10.2018, 01.10.2025, 0.04.2021 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नही होगी। - आयुक्त, नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या डी-558 क्षेत्रफल 200 वर्गगज के आवंटी श्री योगेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री हनुमान सिंह राठौड़ निवासी ग्राम गुलर, तहसील परबतसर, जिला नागौर की मृत्यु दिनांक 8/12/2012 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः श्रीमती सीमा कंवर पत्नि स्व. श्री योगेन्द्र सिंह राठौड़ एवं कुंवर हरय्वानसु राठौड़ (नाबालिग) पुत्र स्व. श्री योगेन्द्र सिंह राठौड़ निवासी (दोनों) ग्राम गुलर, तहसील परबतसर जिला नागौर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। - योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक-न.नि.अ/भवन/26-27/06 आपत्ति सूचना दिनांक-10/4/26

श्रीमति रेणु शर्मा पुत्री स्व. श्री देवदत जड़वाल एवं स्व. श्रीमति सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री देवदत जड़वाल निवासी 64/13 जड़वाल हाऊस चन्द्र नगर ब्यावर रोड अजमेर द्वारा एक सम्पति ए.एम. सी. नं. 64/13 जो थोक मालियान द्वितीय के खसरा नं. 6900 का एक भाग है जो वाके जड़वाल हाऊस चन्द्र नगर ब्यावर रोड अजमेर मे स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 110.75 व.मी. है भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार हैं।

पूर्व - कॉमन पैसेज | उत्तर - इसी भूमि का ऑपन भाग
पश्चिम -मेन ब्यावर रोड | दक्षिण -अन्य की सम्पति

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति / संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। - उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक: 69A/2025-26/54 आम सूचना दिनांक-02.04.26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कुमावत पंचायत सभा, ब्यावर जरिये अध्यक्ष:- श्री नन्द किशोर कुमावत पुत्र श्री सत्यनारायण कुमावत, सचिव:- श्री रवि कुमावत पुत्र श्री लादू राम कुमावत, कोषाध्यक्ष: - श्री दिनेश कुमावत पुत्र श्री विष्णुदत कुमावत निवासी ब्यावर ने 69 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नगर परिषद ब्यावर की सीमा में स्थित जायदाद प्राचीन म्यु नं. 6/15, नया नं. 05. डिग्गी चुनपचान गली नं. 04 आबादी मौहल्ला ब्यावर क्षेत्रफल 58.03 वर्गमीटर का आवासीय पट्टा लेने बाबत् आवेदन किया है। अतः उपरोक्त को आवासीय पट्टा विलेख जारी किये जाने के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के 15 दिवस के अन्दर अन्दर आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। - आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

एडीए की बड़ी कार्रवाई : 300 अवैध कोयला भट्टियां ध्वस्त

लगातार मिल रही शिकायतों और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस प्रशासन के संयुक्त सहयोग से अभियान चलाया गया।

अजमेर,(निसं)। अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को किशनगढ़ क्षेत्र के ग्राम उंटड़ा में संचालित अवैध कोयला भट्टियों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की। लगातार मिल रही शिकायतों और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस प्रशासन के संयुक्त सहयोग से यह अभियान चलाया गया।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में मौके का निरीक्षण कर विस्तृत सर्वे कराया गया था। जांच में सामने आया कि ग्राम उंटड़ा में खसरा संख्या 913 एवं 1538, कुल 12.76 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कोयला भट्टियां स्थापित कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इससे न केवल सरकारी भूमि पर कब्जा हो रहा था, बल्कि पर्यावरण और जनसुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।

कार्रवाई के दौरान एडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीन जेसीबी मशीनों की मदद से करीब तीन घंटे तक अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 300 अवैध कोयला भट्टियों सहित अस्थायी निर्माण और ढांचों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यह भट्टियां लंबे समय से संचालित हो रही थीं।

इस कार्रवाई के दौरान एडीए की उपायुक्त निशा सहारण, तहसीलदार सहित राजस्व टीम, प्रवर्तन दल तथा गेगल थाना पुलिस के अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद रहे। पूरे अभियान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया गया।

प्राधिकरण ने संबंधित लोगों को कडी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियां दोबारा संचालित होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जिन कोयला भट्टियों में वर्तमान में आग जल रही है, उन्हें सुरक्षा कारणों से तत्काल नहीं हटाया गया है। इन्हें तीन दिन बाद अग्निशमन विभाग की सहायता से सुरक्षित तरीके से हटाया जाएगा।

कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडीए पुलिस विंग और गेगल थाना पुलिस का पर्याप्त जाब्ता तैनात रहा। प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध गतिविधि न करें, अन्यथा प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय ग्राम पंचायत काशिर पंचायत समिति अरांई, अजमेर

क्रमांक: ग्रा.प.का/2026-27/1 ई-निविदा सूचना संख्या 01/2026-27 दिनांक: 08.04.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत काशिर के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मो से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षि दर संविदा/दर अनुबंध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेबसाईट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। उपरोक्त निविदाएं वेब पोर्टल http:www.sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय विक्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	NIB NO	UBN NO	TENDER Id
1	काशिर	ZAJ2627A0062	ZAJ2627WSOB00062	2026_PRD_550899_1

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत काशिर, पं.स.अरांई, जिला अजमेर | प्रशासक, ग्राम पंचायत काशिर, पं.स.अरांई, जिला अजमेर